# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
## पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरबिन्दर डी0 सिंह R.A.S

**मिसल नं0** 136/प्रा0पत्र/2023 | **तारीख दायरा** 07.12.2023 | **तारीख फैसला** 29.05.2024

नरेश कुमार बैरागी उर्फ नरेश दास आत्मज तुलसीदास उम्र 49 वर्ष जाति बाबाजी निवासी ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान जिला बून्दी।

.......प्रार्थी

**बनाम**

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा बून्दी (राज0)

.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थीः– श्री नन्दसिंह सौलंकी
अधिवक्ता अप्रार्थीः– पेरोकार सरकार

**– : : निर्णय : : –**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251–क आर.टी. एक्ट**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार भूमि खसरा संख्या 1038/709 रकबा 0.4047 हैक्टेयर वाके ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि पर आने–जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए मौके पर रास्ता मौजूद नहीं है। यह कि प्रार्थी को चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर पहुंच के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है प्रार्थी को अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 707 क्षेत्रफल 0.9955 हैक्टेयर जो वाके ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है में से 30 फिट चौड़ाई के रास्ते की आवश्यकता है। अप्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमि से नवीन मार्ग सृजित होगा। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी से आज से लगभग 15 दिन पूर्व आपसी समझाईश व सहमति से रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। प्रार्थी भूमि के मुल्य वृद्वि हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत नही कर रहा है। अप्रार्थी की भूमि पर 30 फिट चौड़ाई का नवीन रास्ता सृजित नही किया गया तो रास्ते के अभाव में हमेशा के लिए पड़त रह जायेगी । इससे प्रार्थी को भारी अपूर्णनीय क्षति होगी। जब अप्रार्थी ने सहमति से प्रार्थी को रास्ता देने से इनकार कर दिया तब वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1038/709 रकबा 0.4047 हैक्टेयर वाके ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है, पर पहुंच हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 707 क्षेत्रफल 0.9955 हैक्टेयर जो वाके ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है मे से 30 फिट चोड़ाई का प्रार्थी की भूमि तक पहुच की लम्बाई का रास्ता रिकार्ड में दर्ज कर गैर मुमकिन रास्ते के रूप में नोट अकित करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जर्ये पत्रांक 152 दिनांक 21.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम लम्बाखोह के खसरा संख्या 1038 /709 रकबा 0.4047 हैक्ट0 किस्म बारानी 3 भूमि खातेदार नरेशदास पुत्र तुलसीदास जाति बाबाजी सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। मौके अनुसार खसरा संख्या 1038/709 रकबा 0.4047 हैक्ट0 भूमि खाली पडी हुई है, मुताबिक राजस्व रिकार्ड के उक्त भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता दर्ज नही है। संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा संख्या 1037/709 में पहुँच हेतु ख0स0 707 रकबा 0. 9955 हैक्ट0 किस्म गै0मु0 बर्डा सिवायचक मे से आना जाना होता है। जो कि राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज

ह0/–

...कार्ड है। ख0स0 707 रकबा 0.9955 हैक्टे0 भूमि, ख0स0 980/706 रकबा 0.4856 हैक्टे किस्म गे0मु0रास्ता से ...ी हुई है। संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ते की चौडाई गुणा लम्बाई 10 गुणा 54 वर्गमीटर कुल 540 वर्गमीटर है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खस0 707 खनिज संभावित क्षेत्र दर्ज है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1038/709 रकबा 0.4047 हैक्टेयर वाके ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी पर पहुंच हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 707 क्षेत्रफल 0.9955 हैक्टेयर जो वाके ग्राम लाम्बाखोह तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है, मे से 30 फिट चोड़ाई का प्रार्थी की भूमि तक पहुच की लम्बाई का रास्ता रिकार्ड में दर्ज कर गैर मुमकिन रास्ते के रूप में नोट अकित कराने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार मार्ग हेतु प्रस्तावित भूमि ख0सं0 707 खनिज सम्भावित है। खनिज सम्भावित क्षेत्र में रास्ता दर्ज करवाये जाने हेतु खातेदार को पूर्व में खनिज विभाग से अनुमति लेना आवश्यक था अथवा पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाता। प्रस्तावित मार्ग खनिज सम्भावित क्षेत्र से प्रस्तावित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार प्रार्थी की आराजी पर पहुँच हेतु प्रस्तावित भूमि खनिज सम्भावित होने से सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/सहमति के अभाव एवं आवश्यक पक्षकार के कुसंयोजन में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा